

HPFD-F05/152/2023-FCA

वन विभाग हिमाचल प्रदे ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अतिं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हिंप्र० ।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
उप-कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फै० वालिक खण्ड,लौ०गुड़,
फै०मला, हिमाचल प्रदे १-1710001

दिनांक फै०मला-१

विषय: **Diversion of 3.613 ha of forest land in favour of Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. 66KV D/C Transmission line from Pragati Nagar to 66/22KV Sub-Station Hulli (Kotkhai) Shimla within the jurisdiction of Theog Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.**महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 10/01/2025 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विश्याधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :—

शर्त	उत्तर
ए वे भार्त जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है:	प्रयोत्का ऐंजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राँ० जमा करावाई गई है।
एष प्रयोत्का ऐंजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राँ० जमा करावाई जाए।	
पप राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।
पपप वन (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे १ दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्दे १ संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐंजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 3.613 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करावाई जाए।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे १ दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्दे १ संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐंजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 3.613 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करावाई जाए।
पअष प्रयोत्का ऐंजेंसी सभी भुगतान रा फै० पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करावाई जाए।	प्रयोत्का ऐंजेंसी सभी भुगतान रा फै० पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करावाई जाए।
अण पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट म.चवतजंस	अपण पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट म.चवतजंस

	(https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की जाए।	(https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड कर ली है।
अपपण	प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राटा को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा की गई है और केवल उपयुक्त बैंक में यह रा पी जमा कर ली है।
अपपपण	प्रयोत्का एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की भार्ती के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा।	इस आय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
पगण	FRA 2006 की अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।	FRA 2006 का अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।
ठण	वे भार्ती जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोत्का एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कटाई से पालन करने की आव यकता हैं, परन्तु अडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
1ण	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	
2ण	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
3ण	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी०ए० योजना के 7.226 ha पर पौध रोपण का कार्य Survey No./compartment No-53 E/8, R15 Tomru, Tharola Beat, Kalala Block, Kotkhai Range, Theog Forest Division, District Shimla पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी०ए० योजना के 7.226 पर पौध रोपण का कार्य Survey No./compartment No-53 E/8, R15 Tomru, Tharola Beat, Kalala Block, Kotkhai Range, Theog Forest Division, District Shimla पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का Monocultural नहीं होगा।
4ण	प्रस्तावित सी०ए० भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बंधित दस्तावेज, अन्यथा IFA, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित सी०ए० भूमि, सम्बंधित दस्तावेज प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अपलोड की गई अनुपालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
5ण	State Govt. Shall upload the revised	The revised CA area toposheet with

	CA area toposheet with toposheet number, duly authenticated by DFO concerned.	toposheet number, duly authenticated by DFO concerned is uploaded now with the compliance report of Stage-I approval.
6 ^प	State Govt. shall upload the NoC/Sale deed/Gift etc. for non-forest land acquired from private individuals before Stage-II.	The NoCs/Sale deed/Gift etc. for non-forest land acquired from private individuals is uploaded with the compliance report of User agency.
7 ^प	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधोरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधोरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
8 ^प	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की को0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की को0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सर्वदा की बचनबद्धता संलग्न है।
9 ^प	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
10 ^प	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राशि को जमा करना सुनिश्चित करेंगे।	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राशि को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
11 ^प	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
12 ^प	केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13 ^प	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14 ^प	प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए रास्ते के अधिकारी की अधिकतम चौड़ाई 18 मीटर होगी।	प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए रास्ते के अधिकारी की अधिकतम चौड़ाई 18 मीटर होगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15 ^प	कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 3.4 मीटर होना चाहिए। कंटकटरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जाएगा। विजली के करंट के बचने के लिए आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16 ^प	प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को विजली के करंट से बचने के लिए आवश्यक ग्रउड कलिरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को विजली के करंट से बचने के लिए आवश्यक ग्रउड कलिरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17 ^प	प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लागत पर पक्षी को तारों से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमि इन लाइन के ऊपरी कण्डक्टर पर पक्षी डिफलेक्टर लगाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लागत पर पक्षी को तारों से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमि इन लाइन के ऊपरी कण्डक्टर पर पक्षी डिफलेक्टर लगाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

18 ^ए प्रयोक्ता एजेंसी राज्य विभाग से विचार विम १ करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधे मुख्य रूप से औशधिय पौधों के रोपण सजून व रख रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निश्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन रा वि उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य विभाग से विचार विम १ करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधे मुख्य रूप से औशधिय पौधों के रोपण सजून व रख रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निश्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन रा वि उपलब्ध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19 ^ए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा वि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा वि उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
20 ^ए परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
21 ^ए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
22 ^ए प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
23 ^ए स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिंडे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिंडे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
24 ^ए यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
25 ^ए परियोजना के निर्माण से उत्तरांति मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।	परियोजना के निर्माण से उत्तरांति मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
26 ^ए इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
27 ^ए अन्य कोई भी भारत इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
28 ^ए यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे ।/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

29^ए इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दि गानिर्द । 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

गोड़ल आफिसर एवं अतिथि प्रो मुख्य
अरण्यपाल(एफ०सी०ए०)हिप्रो